MR. DEPUTY-SPEAKER : This is a very constructive suggestion. The Home Minister is present. Whatever is obligatory on him under the Constitution in the given situation, certainly he will come before the House with a statement. (*Interrruptions*).

SHRI KANWAR LAL GUPTA: You may also dismiss the Government and adjourn the House *sine die*.

SHRI PILOO MODY : Don't miss this opportunity, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not a light-hearted thing. This House is the Central Parliament, a sovereign body. Here we cannot arrogate to ourselves—whoever maybe in the Chair—powers which under the Constitution or Rules of Procedure we are not competent to exercise.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : The Speaker of West Bengal has shown you much light, if you can take it.

SHRI HEM BARUA (Mangaldai) : The Constitution has broken down in West Bengal and we are concerned with that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have come a little late. Please resume your seat. We will continue the clause-by-clause consideration.

14.42 hrs.

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL—*contd.*

श्री कंवर लाल गुप्त: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो सरकार ने रिफंड के ऊपर आज तक ब्याज दिया है वह केवल 262 रुपये है एक साल का जबकि सारा रिफंड सरकार की तरफ 31-3-66 को 73 लाख रुपये था और 73 लाख के ऊपर केवल 262 रुपये इन्टरेस्ट का दिया है। मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि शायद इतना ही वाजिब होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं और आंकड़े देना चाहता हूं मंत्री महोदय की सेवा में कि जो रिफंड इन का एक और दो साल के बीच में था वह 12 लाख 91 हजार रुपये एक साल में था। इस का रिफंड नहीं दिया गया एक और दो साल के बीच में। अगर आप इतने ही पर इन्टरेस्ट लगा लीजिये तो मैं समझता हूं कि कई हजार रुपये होगा। इसलिए यह जो कहना डिपार्टमेंट का है कि केवल 262 रुपये इन्टरेस्ट का होता है यह कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इस में एक साल से कम जो रिफंड वाजिब था 31-3-66 को वह 57 लाख 61 हजार रुपये था। जो एक साल और दो साल के बीच का था वह 12 लाख 91 हजार था और जो दो साल और उस से ज्यादा का था वह 2 लाख 31 हजार था। मतलब यह है कि करीब करीब 75 लाख रुपया ऐसा था 31-3-66 को जिस का कि ब्याज असेसीज़ को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा मिलना था। लेकिन दिया गया केवल 262 रुपये। तो मेरा जो अमेंडमेंट है वह इसलिए है कि ताकि सरकार के ऊपर दबाव पड़े कि वह जो भी अगर देरी करती है रिफंड में तो उस का उस को ब्याज देना पड़ेगा। और अगर आप ब्याज भी नहीं देंगे तो आप को उस के ब्याज के ऊपर पेनाल्टी इन्टरेस्ट देना पड़ेगा। इसका एक फायदा यह भी होगा कि आप अगर पता लगायें कि कौन अफसर हैं या कौन लोग हैं जिन की वजह से ऐसा होता है तो उन को पिन डाउन करने का मौका आपको मिल जायगा कि जिस में रिफंड नहीं किया उस की जिम्मेदारी किस के ऊपर है और मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि अगर उन का एडमिनिस्ट्रेशन यह कहता है कि मेरे आंकड़े गलत हैं, अगर फिर भी वह इस को गलत कहते हैं और आप समझते हैं कि रिफंड यह समय से दे देंगे तो पीनल इन्टरेस्ट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पीनल इन्टरेस्ट देने की जरूरत तभी पड़ेगी जब आप इन्टरेस्ट नहीं देंगे। इसलिये मेरी जो यह तरमीम है, मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह मानी जाय। इस में दो संशोधन हैं, दूसरा भी मैं पेश कर दूं।

दूसरा संशोधन मेरा यह है कि जो ऐन्युइटी है उस की दर मैंने कहा है कि 40 हजार के ऊपर के लोगों के ऊपर लगायी जानी चाहिए।

[श्रीकंवर लाल गुप्त]

अध्यक्ष महोदय, जो हमारे उप-प्रधान मंत्री जी ने कहा कि ब्रथलिगम रिपोर्ट में भी यह कहा गया है, वास्तव में तो जो यह ऐन्युइटी है, यह बेसिकली मैं गलत समझता हूं क्योंकि अगर लोगों की सेविंग भी करनी है तो भी जो टैक्सेशन का रेट है वह इतना ज्यादा है कि उस में बहुत ज्यादा सेविंग नहीं हो सकती । दूसरी बात, अगर लोगों को सेविंग के लिये पैसा लगाना है तो इस से और कई अच्छे रास्ते हो सकते हैं और यह स्वयं वित्त मंत्री और उप-प्रधान मंत्री जी ने भी माना है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member may resume his seat. I am afraid his second amendment concerns clause 5 and not clause 4.

श्री कंवर लाल गुप्त : तो मैं उस को अभी रहने देता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister..

SHRI S. S KOTHARI (Mandsaur): Sir, may I be permitted to move my amendment? It stands in my name.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Not now. I have already called the hon. Minister to reply.

श्री मधु लिमये : मुझे इस पर बोलना है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Just now a plea was made that he was not in a composed state of mind. Would he like to speak now ?

श्री मधु लिमये : वह आप की वजह से, आए के निर्णय की वजह से और वह मैंने नहीं कहा, वह श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी ने कहा था । मेरी मनः स्थिति बिलकुल ठीक है । लेकिन यह महत्वपूर्ण घटना हो गई थी इसलिए मैं उस पर बहस चाहता था । मेरी मनः स्थिति किसी भी बहस के लिए ठीक है ।

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur): Sir, you are always looking that side because you had been sitting on that side for a long time.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will give him a chance.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मुझे एन्टरटेनमेंट एलावेंस के बारे में यहां पर जो प्रस्ताव पेश है उस के बारे में कुछ कहना है । इस प्रस्ताव के अनुसार अगर किसी भी एक असेसी का आयकर देने वाले का मुनाफा 1 करोड़ 70 लाख से अधिक है तो एन्टरटेनमेंट के लिए इन को केवल 30 हजार रुपया मिलेगा । ठीक है न ? मैं जरा हिसाब कम जानता हूं । मैंने हिसाब लगाया कि 30 हजार से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं मिलेगा । अब अध्यक्ष महोदय, घटाने की इन की जो बात है मैं उस का विरोधी नहीं हूं । मैं उस का स्वागत करता हूं । लेकिन मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस तरह निजी कम्पनियों की फिजूलखर्ची को यह रोकना चाहते हैं और यह बहुत अच्छी बात है मंत्री महोदय अगर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में भी खर्चे को घटाने की बात साथ-साथ करते तो अच्छा होता और ये लोग भी नाराज नहीं होते । और यदि नाराज भी हों जाते तो जनता की इन से मुतफिक राय नहीं होती और जो सरकारी कम्पनियां फिजूल खर्ची करना चाहती हैं, उस में रुकावट आती ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी लाइब्रेरी से आंकड़े मांगे थे लेकिन ऐसा लगता है कि सभी सरकारी कम्पनियां इस के बारे में तफसील नहीं दे रही हैं । मेरे पास इस वक्त फर्टीलाइजर का रिशन की 10वीं रिपोर्ट है, उस के पृष्ठ 29 पर मैं यह चीज पा रहा हूं—रिम्यूनरेशन आफ मैनेजिंग डाइरेक्टर एण्ड एक्जीक्यूटिव डाइरेक्टर—यहां पिछले वर्ष यानी रिपोर्ट के पहले वर्ष में 34,955 रु० था, लेकिन जिस साल की यह रिपोर्ट है, उस में बढ़ गया है और 37,159 हो गया है । एक्जीक्यूटिव डाइरेक्टर का थोड़ा कम किया गया है और इन लोगों के लिये एन्टरटेनमेन्ट के तौर पर 3 हजार रुपये दिये गये हैं । एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह कहा है कि—

"The Chairman and Managing Director at the head office of the Corporation and the General Managers at the units/divisions are allowed entertainment expenses at the cost of the Corporation to a maximum of Rs. 3,000 and 2,000 respectively per annum. The entertainment expense accounts are being allowed with the approval of the Government in respect of Chairman and Managing Director and, with the approval of the Board of Directors in respect of the General Managers. The amount is utilized for entertainment of guests approved by the officers concerned on personal certificates. Taking into account the status of the officials and also the practice prevalent in companies" —that is to say, private companies— "the entertainment expense account is considered reasonable."

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि यहां निजी कम्पनीज के एक्सपेन्स एकाउन्ट को, एन्टरटेनमेन्ट एलाउन्स को या दूसरे खर्चों को घटाने की बात की जाती है, लेकिन क्या वजह है कि जो सरकार समाजवाद का नारा देती है, वह सरकार सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों का खर्च घटाने की बात नहीं करती । इस लिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इन खर्चों को भी घटाने की बात करें। साथ ही साथ मैं एक निवेदन और करूंगा स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के चैयरमैन साहब एक दफा हमारे दल के अध्यक्ष से और हम से मिलने आये । मैंने देखा कि एक बड़ी शान्दार गाड़ी में वह आये, तो हमारे चैयरमैन ने उन से पूछा कि क्या अगर आप एम्बेसेडर या फियेट गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो उस से एस० टी० सी० का काम नहीं बढ़ पायेगा ? एक तरफ सरकार समाजवाद का नारा देती है और दूसरी तरफ हमारे सरकारी क्षेत्र के जो डाइरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, या मैनेजर हैं, वे अगर इस तरह का आदर्श लोगों के सामने पेश करते हैं, तो उस से मैं समझता हूं कि समाजवाद इस देश में नहीं आयेगा । तो जहां एन्टरटेनमेन्ट एलाउन्स एक्सपेन्स अकाऊंट कम करने की हम ताईद कर रहे हैं, वहां मैं मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं कि वे सभी सरकारी क्षेत्रों के बारे में देखें और जहां-जहां इस खर्चे को कम करने की गुंजाइश है, वह पूरी कोशिश करें ।

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I think, the U. K. Government cut down the entertainment expenditure of all limited companies and, so far as I remember, they brought down the entertainment expenditure of those undertakings also which were run by the Government. I think, this is a wholesome principle that the yardstick that we apply to privately managed companies should also operate in the case of those companies which are nationalised or which are run by the Government. Unless we do that, I think, the private companies will have a right kind of grouse that while they are being subjected to so many restrictions, the public undertakings are going their own way in any way they like.

That was my first point. My second point is: When I listened to the speech of my hon. friend, Shri Kanwar Lal Gupta, I was asking myself whether he was dealing with the Finance Ministry of India or he was dealing with some moneylenders' association. All the arguments, which he put forward with regard to interest that was given and with regard to penal interest, would have been very valid if he had been discussing some chit fund or some all India finance corporation, which runs away with other people's money, or the private accounts of some moneylenders in this State or that State. I think, all his arguments have absolutely no validity when we are discussing the Finance Ministry of the Government of India. I think, penal interest is charged only from those persons or companies—I think, it is more a company matter than a personal affair—who try to evade the interest. Has the Government evaded the interest? He says that so many lakhs of rupees were due from the Goverment but the Government gave only Rs. 261. Does he mean to say that the person who invests money in the Government of India is such a nincompoop that he does not know his clients, that he is such a nitwit that he does not know what to get from the Government ? He knows every-

[Shri D. C. Sharma]

thing. I think, it does not become a person of the standing of Shri Kanwar Lal Gupta to come forward and say that the Government should impose upon itself a kind of penal interest because somebody has not asked for that interest or somebody's interest which is due but has not been paid. I think, this is something unjustified, uncalled for and unwarranted. It is not to be found in the finances of any country. I think, it may be found in the finances of some council or committee but not in the finances of a country.

Therefore, I say that the provisions which are given in this Bill should be adhered to and Government should not retract from that position because those provisions are meant for the financial sound health of the country. They should be adhered to as much as possible.

श्री स्वतंत्रसिंह कोठारी (मंदसौर): श्रीमान् उपाध्यक्ष जी, श्री पंतजी तथा उन के द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से मैं यह अनुरोध करूंगा कि, यह देखते हुए कि इस सदन में इस एन्यूइटी स्कीम की बहुत तीव्र आलोचना हुई है, वे शीघ्र ही निर्णय कर, इस स्कीम को वापस ले लें। यदि वह ऐसा करेंगे तो भूतलिंगम रिपोर्ट के अनुसार उन्हें केवल 14 करोड़ रुपये का घाटा होता है, लेकिन यह अमेण्डमेन्ट जो वे लाये हैं, उसकी वजह से अब घाटा 19 करोड़ रुपये होगा। वह यह कह सकते हैं कि 19 करोड़ काफ़ी हैं, लेकिन यदि सरकार वालन्टरी सेविंग्ज स्कीमों को ठीक तरह से लागू करे, जिनमें लोग स्वयं अपने आप बचायेंगे, तथा इस सम्बन्ध में नई अच्छी स्कीमें रखें, जैसा कि भूतलिंगम साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, तो मेरा ख्याल है कि यह रकम इतनी नहीं है कि वे उसको वसूल न कर सकें।

इस लिये मैं यह अनुरोध करूंगा कि यह स्कीम जो एक प्रकार से वित्त मंत्री महोदय के ऊपर—ओल्ड मैन आन दी बैक आफ सिन्दबाद, दी सेलर, हो गई है, इस के ऊपर एक बार फिर उचित प्रकार से ध्यान देकर मनन करें और यदि हो सके तो इस को अगले बजट में अवश्य हटा दें।

SHRI D. N. PATODIA (Jalore): Sir, it is only unfortunate that while discussing and formulating these important Bills, business ethics are least discussed. I do not understand how any entertainment allowances can possibly be linked up with the profitability of the company. Does it mean that the company which by force of business circumstances is a losing company is not entitled to any entertainment expenditre ? Does it mean that in the case of a new company which by the very nature of the company is likely to incur loss for the first few years and is likely to have profit only after a few years should not be given any entertainment allowances? I humbly submit that any entertainment allowance must, if at all, be linked up with the turnover rather than with the profitability of it because profitability, after all, is a matter of circumstances, is a matter of various other factors on which all companies cannot have any control. I wish to submit that this particular business ethics must be properly understood before enacting such a legislation.

Then, I would like to say a word about the Annuity Deposit Scheme. Apart from the fact that the imposition of the Annuity Deposit Scheme is inconsistent with the assurances and indications given by the hon. Minister on the floor of the House, I wish to say that any scheme of Annuity Deposit goes with the presumption that the society has sufficient surplus savings so that they can in turn, be put as deposits. Once we admit that the savings in society have considerably gone down, this appears to be absolutely inconsistent with that. On the one hand, we admit that there is no saving in society, on the other hand, at the same time, we say that savings should be put in the Annuity Deposits. I know of cases where the people belonging to lower income group have to put deposits by borrowing money at a higher rate of interest and collecting lower rate of interest under the Annuity Deposit Scheme. In what manner is the common man in society going to be benefited by it ?

These are the two submissions I have to make and I hope the hon. Minister will take them into consideration.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : उपाध्यक्ष महोदय, कल की बहस में ऐनुयिटी डिपाजिट स्कीम के बारे में काफ़ी चर्चा हुई और कई माननीय सदस्यों ने आज फिर उन बातों को उठाया है जिनके कि बारे में कल चर्चा हुई थी और जिनके बारे में अपने उत्तर में मैंने सरकार की तरफ से यह कहा था कि क्यों इस समय आज एनयुटी डिपाजिट स्कीम को बदलने की आवश्यकता हुई और किस तरीके से हम को साधनों की आवश्यकता थी। आगे के लिये मैंने यह कहा था कि उस पर हम विचार करेंगे और जो सुझाव वह देंगे उन पर फिर हम विचार करेंगे। आज मैं उस चीज को दुहराना चाहता हूं कि जो कुछ उन्होंने सुझाव दिये हैं उन पर हम अवश्य विचार करेंगे।

जहां तक शर्मा जी का संशोधन है मैं समझता हूं कि वह संशोधन कुछ गलतफहमियों से दे दिया है क्योंकि उन की मंशा तो शायद यह थी कि 25,000 से नीचे की आमदनी वाले लोगों को ऐनुयुटी न देनी पड़े····

श्री दी० चं० शर्मा : मैंने तो नहीं कहा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ठीक है श्री दी० चं० शर्मा ने नहीं कहा वह उधर जो दूसरे शर्मा जो बैठते हैं उन्होंने कहा था। जो उन्होंने संशोधन दिया है उस का असर यह होगा कि उन लोगों को जो छूट दी हुई है वह छूट नहीं दे सकेंगे बिलकुल उलटा असर होगा। उन की मंशा दूसरी है और संशोधन का असर दूसरा है। इस का कारण यह है कि पिछले साल तक 25 प्रतिशत: तक की सालाना आमदनी के नीचे वाले लोगों को इस ऐनुयुटी डिपाजिट में पीनेल टैक्स नहीं देना पड़ता। 5 परसैंट और 7 परसैंट यह उस की दरें थीं 20,000 और 25,000 तक। इस साल इन दरों को बढ़ा कर 6 प्रतिशत: और 9 प्रतिशत: कर दिया। लेकिन यह जिस प्राविधान को वह निकालना चाहते हैं उसका मंशा यह है कि उन को पीनेल टैक्स केवल 1 प्रतिशत: और डेढ़ प्रतिशत: पर पड़ा न कि 6 प्रतिशत: और 9 प्रतिशत: पर। इसलिए यह छट है। आप के शर्मा जी ने हमारे सामने दलीलें रखीं हैं इसलिए मुझे आशा है कि वह इस बात को मानेंगे कि अगर हम उन का संशोधन स्वीकार कर लें तो उन की जो मंशा है उस के विरुद्ध काम होगा। इसलिए मुझे आशा है कि वह अपने संशोधन को वापिस ले लेंगे।

दूसरा संशोधन गुप्ता जी का है जिसमें कि उन्होंने यह सुझाव दिया है कि अगर सरकार रिफंड में 6 परसैंट से 9 परसैंट ब्याज बढ़ाने के बाद भी वह 9 परसैंट न दे तो फिर 12 परसैंट का एक पीनेल रेट आफ़ इंटरेस्ट लागू किया जाय।

मैं शुरू में ही कह दूं कि जहां तक रिफंड का समय में देने का उद्देश्य है उस से मैं बिलकुल सहमत हूं और सरकार की यह कोशिश रहेगी कि रिफंड टैक्सपेयर को जल्दी से जल्दी मिले, बिना मुसीबत के मिले। उस की पूरी कोशिश होगी और जो कुछ ऐडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने की आवश्यकता हम समझेंगे उसे हम लेंगे।

एक माननीय सदस्य : यहां हो क्या रहा है? क्या मेजर्स आप ले रहे हैं? जो मेजर्स आप ने अभी तक लिये हैं उस का कोई असर नहीं है····

श्री कृष्ण चन्द्र गुप्त : आप मुझे बोलने दीजिये पहले तब आप सब समझ जाइयेगा। पहली बात तो यह है कि इस उद्देश्य से मैं सहमत हूं लेकिन गुप्ता जी ने टैक्सपेयर के लिए 12 प्रतिशत का सुझाव दिया और जो लोग टैक्स देने में खामी करें उन को भी 12 प्रतिशत: रेट आफ इंटरैस्ट पर पीनेल रेटस लगे। यह सुझाव नहीं दिया इस का आश्चर्य है। मैंने जो विधेयक आप के सामने रक्खा और सदन के सामने रक्खा उस में तो दोनों चीजें थीं कि जो जिस को टैक्स देना हो कर देना हो अगर वह कर समय में

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

न दे तो उस पर भी ब्याज पड़े। अगर सरकार कोई गफलत करे तो उस पर भी बोझ पड़े। मैं समझता था कि आप को सरकार के कोष की इतनी फिक्र होगी कि आप भी अपनी तरफ़ से यह सुझाव लाते लेकिन आप नहीं लाये। खैर, अब 12 प्रतिशत, का सुझाव आपने दिया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिये 12 प्रतिशत में भी नहीं दिया तो आप कहेंगे पीनेल टैक्स 24 प्रतिशत का लगाइये। 24 प्रतिशत भी नहीं दिया तो 48 का लगाइये। यह तो एक अनन्त प्रथा है इसके लिए जो व्यवहारिक चीज है वह तो यह है कि आज भी जहां सरकार को 6 प्रतिशत या 9 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है वहां फौरन पता चल जाता है कि फलां फलां अफसर ने समय में रिफंड नहीं दिया। आज भी वह पकड़ है और उस पकड़ का हम इस्तेमाल करेंगे और उसको बढ़ा कर कोई पकड़ बढ़ती नहीं है। 9 प्रतिशतः से 12 प्रतिशत करके पकड़ ज्यादा नहीं बढ़ती है ....

एक माननीय सदस्य: सज़ा दीजिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: अब सज़ा, की बात उसमें क्या हो सकती है यह सोचने की बात है। लेकिन पकड़ आज भी है और आज भी एक सज़ा है। बाक़ी सवाल तो अब यह है कि आपने जो आंकड़े दिये हैं मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। सरकार के पास भी यह 261 रुपये के आंकड़े हैं। इससे दो चीजें निकल सकती हैं। एक तो जो आपने कहा कि यह रिफंड ज्यादा बकाया है लेकिन मिले केवल 261 रुपये हैं दूसरा इंटरप्रेटेशन यह हो सकता है कि वह रिफंड दे देते हैं इसलिए वह 261 रुपया इंटरैस्ट पड़ा। यह भी सम्भव हो सकता है। जो आप ने फ़िगर पढ़ीं जो बाकी हैं उनको पढ़ लें, उन्हें जरा देख लीजियेगा। बहरहाल मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं...

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I will read it out:

"Refunds outstanding for less than a year.....Number of cases..... Amount involved in thousand of rupees ....."

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: यह आप रेवेन्यू आडिट से पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर पढ़िये।

श्री कंवर लाल गुप्त: उसे भी मैंने कोट किया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: उसके ऊपर नम्बर आफ ऐप्लिकेशन्स है।

श्री कंवर लाल गुप्त: मैंने दोनों पढ़े हैं। नम्बर आफ एप्लिकेशन्स ऐंड दि अमाउंट इन्वाल्व्ड, दोनों ही मैं ने पढ़े हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: मैं आपसे बहस नहीं करता। अगर आप सरकार को कोई ऐसे आँकड़े देते या केसेज बतलाते कि इनमें रिफंड मिलना चाहिये था लेकिन नहीं मिला तो हम उसको देखने के लिये तैयार होते। इस आश्वासन के बाद मैं इस संशोधन की आवश्यकता नहीं समझता और मैं आशा करता हूं कि श्री गुप्त उसको वापस ले लेंगे।

कुछ और सुझाव दिये गये एन्टरटेनमेंट अलाउंस के बारे में। श्री मधु लिमये ने भी कहा कि वह सबसे पहले इसका स्वागत करते हैं। दूसरी बात यह कही गई कि इस को सरकारी कारखानों पर भी लागू किया जाना चाहिये। यह जो इसमें एन्टरटेनमेंट अलाउंस की सीमा निर्धारित की गई है वह सरकारी कारखानों के ऊपर भी उतनी ही लागू होगी जितनी गैर-सरकारी कारखानों के ऊपर।

जहां तक मैनेजिंग डाइरेक्टर और चेअरमैन के एन्टरटेनमेंट अलाउंस का जिक्र किया गया, मुझे माननीय सदस्य माफ करें क्योंकि साल में दो हजार या तीन हजार रुपया अगर चेअरमैन या मैनेजिंग डाइरेक्टर इतनी बड़ी-बड़ी कम्पनियों में खर्च करें, तो मैं इस को कोई ज्यादा नहीं समझता।

श्री शर्मा ने जो एन्टरटेनमेंट की बात कही, उसका भी मैंने कभी जिक्र कर दिया। इसके अलावा एक बात श्री पाटोदिया साहब ने कही कि जो ऐसी कम्पनियां हैं, जिनको मुनाफा नहीं होता, उनको टर्न ओवर के आधार पर देना चाहिये। इस को मानना बड़ा मश्किल है, और मैं समझता हूं कि वह इस बात को स्वीकार करेंगे कि कम-से-कम हमने इसमें इतना तो प्रावधान किया कि जिनको मुनाफा न हो वह कम-से-कम 5 हजार रु० एन्टरटेनमेंट पर खर्च कर सकते हैं। यह प्रावधान अभी भी है और और इससे ज्यादा करना अब सम्भव नहीं है।

श्री बेणीशंकर शर्मा : मेरा उद्देश्य केवल इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना था। चूंकि मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है, इसलिये मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

MR. DEPUTY SPEAKER : So, you are withdrawing your amendment.

Amendment No. 4 was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Gupta, do you press your amendment ?

श्री कंवर लाल गुप्त : माननीय मंत्री जी कोई मजर नहीं बता पाये हैं कि वह क्या होंगे। अगर वह मेजर बतला देते तो दूसरी बात थी। इसलिये मैं अपने अमेंडमेंट को प्रेस करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"Page 3,—

after line 35, *insert*—

'(*iia*) in section 243, to subsection (1), the following proviso shall be added, namely:—

'Provided that if the Income-tax Officer fails to pay the interest due to the assessee on the refund, the Central Government shall pay, in addition to the interest, a penal interest of twelve per cent per annum on the interest due.'."(2)

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5—(*Amendment of Act 20 of 1967*).

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Sir, I move :

"Pages 6 and 7,—

omit lines 25 to 34 and 1 to 6 respectively." (3)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो अमेंडमेंट वह एनुइटी डिपाजिट के बारे में है। मैंने मांग की है कि 40 हजार रु० के नीचे जितनी आय हो उसके ऊपर ऐनुइटी नहीं लगनी चाहिये। मैं तो मूलतः ऐनुइटी के ही खिलाफ हूं और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी भी खिलाफ हैं, जो बार बार कह रहे हैं कि अगली बार क्या होगा, हम नहीं कह सकते, हम विचार करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि जब वह भी खिलाफ हैं, स्वयम् फाइनेन्स मिनिस्टर भी खिलाफ हैं और जो आप ने भूतलिंगम रिपोर्ट दी है, वह भी खिलाफ है . . .

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : समझदार लोग बार बार विचार करते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार विचार ही करते रहें और कोई निर्णय न करें, तो फिर क्या कहा जाय यह आप ही सोच लीजिये। आप इस पर भी विचार कीजिये।

मैं कहना चाहता हूं कि इसकी आवश्यकता क्या है, यह स्वयम् मंत्री महोदय भी नहीं बतला सकते। यह बिल्कुल बेकार है और इसका प्रोसीजर इतना काम्प्लिकेटेड है कि इसके आंकड़े बनाने में, हिसाब किताब रखने में दिमागों को इतनी तकलीफ होती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत सारे असेसी ऐसे हैं जो ऐनुइटी तो दे देते हैं लेकिन वापस नहीं लेते हैं। इतनी गड़बड़ है हिसाब में। अगर

[श्री कंवर लाल गुप्त]

सरकार कुछ सेविंग करना चाहती है या लोन लेना चाहती है तो उसके और बहुत से सीधे तरीके हो सकते हैं, और वह मंत्री महोदय को मालूम होने चाहियें। इस ढंग से मामला सामने आये तो ज्यादा अच्छा है, अन्यथा गड़बड़ी होती रहेगी। हो सकता है कि राय बदल जाये। बजट के वक्त खुद मंत्री महोदय ने कहा था कि ऐनुइटी बेकार है और हम इसको नहीं रक्खेंगे। यह बात ठीक है कि वह गर्मी के दिन थे और आज कल जाड़े के दिन हैं। अगर उनकी राय भी गर्मी के मौसम में कुछ और होती है और सर्दी के मौसम में कुछ और होती है, ऋतु के हिसाब से राय बनती हो, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई फसल की बात हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यह तो बुद्धि से सोचने की बात है कि अगर एक बात देश के लिये ठीक है तो उसको वह ठीक मानते हैं या ठीक नहीं मानते हैं। वह ठीक भी नहीं मानते हैं और गलत भी नहीं मानते हैं। बीच में लटके सोच रहे हैं। यह जो तरीका है सरकार के दिल का यानी कोई निश्चय न करना किसी चीज पर, और जो चीज हो रही है उसको होने देना, यह इनडिसिज़न की जो बात है वह बहुत गलत है।

आपने कहा कि केवल 10 करोड़ रुपये का फर्क है। आज जितना वेस्टेज हो रहा है अगर आप उसका खयाल कीजिये तब आपको पता चलेगा कि कहां क्या हो रहा है। आप ऐडमिनिस्ट्रेशन को ही देखिये। मुझे मालूम है कि जब नया मंत्रिमंडल बना इस चुनाव के बाद, तब नये मंत्रियों के कोठियों पर जो रिपेअर में खर्च लगा है वह करीब 12 या 13 लाख का है, और उसमें से भी एक मंत्री की कोठी पर 70 हजार रु० लगे हैं रिपेअर्स पर। अब अगर इस तरीके से पैसा बरबाद किया जायेगा तो कैसे काम चलेगा। मैं उन लोगों में से हूं जो चाहते हैं कि मंत्री लोग ठीक से रहें, उनको सुरक्षित रक्खा जाये, उनकी एफिशिएन्सी भी ठीक रहे, बुद्धि और मस्तिष्क सब कुछ ठीक रहे तथा उनको सब सुविधायें मिलें; लेकिन एक बिल्डिंग पर 70 हजार रु० रिपेअर्स पर खर्च किये जायें, जब कि सारा 13 या 14 लाख रु० का खर्च है, तो यह कहां तक ठीक है? वह भी तब जब पहले भी फरनिशिंग हो चुकी है। इस तरह का जो वेस्टेज है उससे बचना चाहिये और इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। स्वयम् फाइनेन्स मिनिस्टर ने, जब वह मिनिस्टर नहीं थे, तब यहां कहा था कि हर एक खर्च में 10 प्रतिशत की कटौती हो सकती है। यह उन्होंने आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सामने कहा था, जब वह फाइनेन्स मिनिस्टर नहीं थे लेकिन आदमी वही हैं, वह नहीं बदले हैं। हां, साल बदल गया है या ऋतु बदल गई है। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में विचार किया जाये। यह सरकार ऐनुइटी हटा कर कोई सीधा लोन ले या अपने खर्च में वह कमी करे।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : As I mentioned yesterday, when we were discussing the question of payment of dearness allowance this question was raised before us that the limit for the annuity deposit was going to be lowered down in order to get some more amount. According to Shri K. C. Pant, the maximum amount which Government are likely to get after the passage of this Bill and after the lowering down of the limit is Rs. 10 crores.

SHRI K. C. PANT : Additional amount.

SHRI S. M. BANERJEE : They are going to get an additional amount of Rs. 10 crores. Previously they were getting Rs. 22 to 23 crores; the average was about Rs. 24 crores. In the beginning, of course, they got Rs. 40 crores.

My submission is only this. When we demanded that the dearness allowance should be given also to those in the income range Rs. 600 to Rs. 1,000, it was denied and it was said that Government had no money to pay to them. Previously when the prices were not very high and they were within the reach of the employees in the income range Rs. 600 to Rs. 800 or Rs.. 1,000 we also used to say that there should be some curtailment. But now we find that even a person

who gets Rs. 1,000 finds it difficult to save any amount. Sir, you are getting much more than Rs. 1,000 but you will appreciate when I say that you are unable to save any amount. When that is the case of persons who are getting more than Rs. 1,000 if we lower the limit and compel even people who are getting only about Rs. 1,000 or so to make these annuity deposits, then it would amount to a reduction in their income also. I, therefore, feel that this clause should not have been brought forward.

When Shri Morarji Desai was discussing with the Opposition leaders the question of dearness allowance, my hon. friend Shri George Fernandes and others had definitely made a suggestion in this regard and asked him why he should not in that case accept the resolution tabled by our late lamented Dr. Ram Manohar Lohia when he said that nobody should get more than Rs. 1,500 income per month ?

If this was accepted in principle, all those people who are getting Rs. 2,000, 3,000 and 4,000 would have come under that. What is the position of government employees, persons who are getting more than Rs. 2,000 and Rs. 3,000? It means the persons who issued the order got Rs. 250, the persons who implemented the order got Rs. 100 and the 15-16 lakh employees for whom the order was meant got Rs. 6. This is the concept of socialism in this country.

I would only request the Minister to give a second thought to it. If he is getting Rs. 10 crores, I would suggest that dearness allowance may also be paid to those getting upto Rs. 1,000. I know I may be criticised for championing their cause, the cause of bureaucrats. But they are our brothers and they should get something more if we want to get some money out of their annuity deposit.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : गुप्त जी ने एनुटी डिपाजिट के सम्बन्ध में जनरल बातें कही हैं और उन्होंने इस बात पर आपत्ति की है कि मैं बार-बार कह रहा हूं कि सरकार इन सुझावों पर विचार करेगी। अगर मैं यह कहता कि सरकार इन पर विचार नहीं करेगी तो मैं समझता हूं कि जो विचार यहां व्यक्त किए गए हैं माननीय सदस्यों द्वारा उनका निरादर होता। उनके विचारों का निरादर करने का मेरी बिल्कुल मंशा नहीं है। समझ में नहीं आता कि मेरी इस बात पर किसी को कोई आपत्ति कैसे हो सकती है कि मैं कहूं कि आपने जो विचार रखे हैं उन पर मैं विचार करूंगा, गौर करूंगा और फिर जो कुछ हो सकेगा, जहां तक हो सकेगा, उन पर अमल करूंगा। मैं समझता हूं कि उनको मेरी इस बात का स्वागत करना चाहिये।

इसके अलावा उन्होंने कुछ छींटाकशी की और कहा कि निर्णय शक्ति की हम में कमी है। मैं कहना चाहता हूं कि निर्णय शक्ति की कमी नहीं है। यह तो एक बुद्धिमानी की बात है जो मैंने कही है और उनको भी इस चीज को सीखना चाहिये। इस तरह के जो पेचीदा सवाल होते हैं उन पर अगर कोई भी संजीदा आदमी कोई सुझाव रखता है तो दिमाग को खुला रखा जाना चाहिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : सवाल को पेचीदा बनाना आप खब जानते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जो बोले हैं सब ने कहा है कि बड़ा पेचीदा है। मैंने इसलिए कहा है कि भूतलिंगम् कमेटी ने इसके बारे में कुछ सिफारिशें की हैं और उन सिफारिशों पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उन पर वाकई में विचार हो रहा है और विचार करने लायक वह चीज है।

जहां तक इस संशोधन का प्रश्न है अभी बनर्जी साहब ने इसका उत्तर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पांच सौ, छः सौ या सात सौ रुपया माहवार पाने वाले जो लोग हैं उन लोगों से कुछ रुपया प्राविडेंट फंड में डालने के लिए कहा जाता है। तो क्या ये जो चालीस हजार रुपया पाते हैं आज इनको एनुटी डिपाजिट में पैसा देने के लिए न कहा जाए और क्या ये दे नहीं सकते हैं। गुप्त जी के संशोधन का मंशा यह है कि चालीस हजार रुपये तक वालों को छूट मिल जाए। चालीस हजार वालों

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

को तो मैं बड़े लोग मानता हूं और मैं समझता हूं कि बहुत कम लोग सदन में होंगे जो इसको स्वीकार करेंगे कि चालीस हज़ार आमदनी वाले को छूट दी जानी चाहिये।

जहां तक फाइनेंशल इम्पिलिकेशंज़ का सम्बन्ध है अगर इस तरह की छूट दी जाती है तो इससे करोड़ों रुपया एनुटी डिपाज़िट का चला जाएगा और सारे का सारा प्रयोजन जो है वह बेकार हो जाएगा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसलिए मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Is he pressing his amendment ?

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I seek leave of the House to withdraw my amendment.

Amendment No. 3 was, by leave, withdrawn

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 5 stand part of the Bill".

The motion was adopted.
Clause 5 was added to the Bill.
Clause 6 was added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI K. C. PANT : I beg to move :

"That the Bill be passed."

श्री मधु लिमये : इस विधेयक का उद्देश्य केन्द्रीय सरकार की वित्तीय हालत को सुधारना है और उसकी आमदनी में वृद्धि करना है। मैं समझता हूं कि आर्डिनेंस द्वारा या नए किसी विधेयक के द्वारा कुछ आमदनी जब सरकार बढ़ाना चाहती है तो ऐसे सुझाव उसको लाने चाहियें जिनसे बिना कोई नया बोझ डाले हुए सरकार की आमदनी बढ़ जाये। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारे ऊपर नित्य नए कर लादे जा रहे हैं, आयात कर है, चुंगी कर है या आबकारी कर है या छोटे लोगों पर आमदनी कर है। नए-नए कर तो लगाये जा रहे हैं लेकिन करों की वसूली के बारे में सरकार को जिस सख्ती से और कार्यक्षमता से काम करना चाहिये, सरकार नहीं कर रही है। सरकार के द्वारा जो आंकड़े रखे गए हैं या जिन बातों को उसने कबूल किया है उनके आधार पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर करों की वसूली में ढिलाई की जा रही है और करों की चोरी करने वाले लोगों को चोरी करने का मौका दिया जा रहा है।

इसी सदन में पूछा गया था 23 नवम्बर 1967 को कि इस वक्त केवल इनकम टैक्स को ले कर कितनी राशि है, जो वसूल नहीं हुई है। इसके जवाब में कहा गया था कि 529 करोड़ 60 लाख रुपया इस वक्त बकाया है। जिनकी ओर एक लाख से अधिक की राशि बकाया है उनके नाम ये लोग बाद में देने वाले हैं। लेकिन मुझे याद है कि जब श्री सी० डी० देशमुख वित्त मंत्री थे उस वक्त भी यह सवाल उठाया गया था और बकाया न देने वाली तथा टैक्स की चोरी करने वाली जो कम्पनियां हैं या जो लोग हैं उनके नाम प्रकाशित करने की मांग की गई थी। तब सरकार से यह भी पूछा गया था कि क्या सरकार कर्ज आदि की जो सहूलियतें हैं वे इन लोगों को भी देती है, बकाया रखने वालों को तथा टैक्सों की चोरी करने वाले लोगों को भी देती है और अगर देती है तो क्या इस बारे में वह पुनर्विचार करेगी लेकिन इसका कोई संतोषजनक जवाब हमको नहीं मिला है।

कई केसिस की ओर मैंने इन लोगों का ध्यान खींचा है। एक केस मैंने अभी बम्बई के एक बड़े सेठ का बताया है जिनकी फोनिक्स मिल है, डान मिल है, जो रुइया परिवार है। उनके दो केसिस की जानकारी, एक वैल्थ टैक्स को ले कर और एक आमदनी टैक्स को ले कर मैंने दी है। एक केस बहुत पुराना है, 1956 का है। उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि

कम्पनी सर्कल में यह मामला था। उसमें जमना प्रसाद सिंह, कन्हैया सिंह और पी० के० राय साहब जो इन दिनों ब्रिटिश इंडिया वगैरह के डायरेक्टर हैं और कंट्रोलर और आडिटर जनरल भी रह चुके हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग चूंकि इसमें शामिल थे इस वास्ते उस केस को कम्पनी सर्कल से केन्द्रीय सर्कल में लिया गया। इनकम टैक्स अफसर कहता था कि सत्तर लाख की एंटरी के बारे में मुझे सन्देह है। उसका तबादला किया गया। नया अधिकारी आया। सत्तर लाख का एसेसमेंट उसने भी किया था। मोरारजी देसाई साहब को मैंने चिट्ठी लिखी है इस केस के बारे में। लेकिन मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। इस केस में केन्द्र से निर्देश आए कि इतना एसेसमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने कहा है कि असेसी के कहने के अनुसार पंद्रह लाख या सोलह लाख का आप एसेसमेंट करें और केस को बन्द कर दीजिये। इस तरह के 14–15 केसेज इस परिवार के थे। मैं जानना चाहता हूं कि इनके बारे में क्या हुआ? उसी तरह अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष की बात है 24 नवम्बर 1966 की, जिस दिन इनकी मिलों पर, इनके दफ्तरों पर सरकार की एजेंसियों द्वारा छापा मारा गया। 24 तारीख के सवेरे इनके परिवार के राधाकृष्ण जी हैदराबाद जाने वाले थे। टिकट इनका रिजर्व किया गया था। लेकिन मंत्रि-मंडल के एक सदस्य के एक बड़े दोस्त ने, आज वह मंत्री नहीं हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने इस शख्स को जानकारी दी कि कल आपके घर पर छापा पड़ने वाला है। रात ही में बहुत सारे कागजों को जलाया गया···

15.30 hrs.

[SHRI G.S. DHILLON *in the Chair*]

श्री दी० चं० शर्मा : नाम क्यों नहीं बतलाते?

श्री मधु लिमये : अरे, पाटिल साहब के दोस्त हैं। आप मुझ को उकसाते हैं बार बार। पाटिल साहब के एक दोस्त ने जानकारी दी। पाटिल साहब इन्हीं के मकान में रहते हैं। रुइया सेठ को किराया कौन देता है, पता नहीं। ···(**व्यवधान**)···अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं ले रहा था तो इन्होंने मुझ को उकसाया कांग्रेसियों ने।

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : मैं एतराज करना चाहता हूं कि किसी का एक दोस्त है; हो सकता है कि आपका ही कोई दोस्त हो, और वह क्या कर रहा है उसके लिए इनको जिम्मेदार तो नहीं ठहराया जा सकता।

श्री मधु लिमये : हां, तो पाटिल साहब के जरिए उनको जानकारी मिली।

एक माननीय सदस्य : आप बदनाम करना चाहते हैं।

श्री मधु लिमये : मैं तो नाम नहीं लेना चाहता था। यह जरा शर्मा साहब को रोकें। ···जो आमने सामने रहता है उससे लड़ने में आनन्द आता है।···(**व्यवधान**)···अरे, वह हार गए हैं। हमारे दोस्त ने हरा दिया उनको।

तो रात में ही बहुत सारे काग़ज़ात जलाए गए, बहुत सारे जवाहरात गायब हो गए और उसके बाद भी जब छापा मारा गया तो उसमें भी बहुत सामान मिला। कागज मिले, जवाहरात मिले। उसके बारे में खुद मंत्री महोदय ने स्वीकारा है कि वेल्थ टैक्स के लिए जो जवाहरात मिले थे उनको भेजा ही नहीं गया वेल्थ असेसमेंट के लिए। यह 23 नवम्बर 1967 का उनका जवाब है। मेरे प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा है···

SHRI K. C. PANT : Sir, on a point of order. This is the third reading of the Bill. May I know how far it is relevant to this Bill?

श्री मधु लिमये : और क्या रेलेवेंट हो सकता है? नये बोझ लादने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो यह कह रहा हूं कि नये टैक्सेज की जरूरत ही क्या है? अगर पुराने टैक्सेज की

[श्री मधु लिमये]

वसूली सख्ती के साथ हो या उसमें भ्रष्टाचार न हो तो नये नये टैक्स ले कर आने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं रास्ता बता रहा हूं आप को।

अध्यक्ष महोदय, यह जवाहरात वेल्थ टैक्स के लिए भेजे ही नहीं गए। और वेल्थ टैक्स के लिए जो जवाहरात भेजे गए वैल्यूअर को, उन वैल्यूअर्स को आजकल 7 परसेंट से 11 परसेंट दिया जाता है, मैंने बम्बई से जानकारी हासिल की कि 11 परसेंट तक इन लोगों का कमीशन होता है, तो वह कमीशन देने के पश्चात् यह जितना चाहेंगे उतना वैल्यूएशन कर देंगे। खुद मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है मेरे इस पत्र के बाद कि 17 लाख का इन्होंने असेसमेंट दिखलाया था। लेकिन वैल्यूअर ने उसको 25 लाख का बताया और मेरी जानकारी के अनुसार अगर ईमानदारी से वैल्यूएशन होता तो 70 लाख से कम नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़े कुछ मामूली नहीं हैं। 40 और 50 लाख रुपया अगर एक केस में सरकार का कम होता है तो लाज़िमी नतीजा इसका होगा कि आपको कपड़े पर टैक्स बढ़ाना होगा, जनता की जरूरियात की चीजों पर अधिक आवकारी कर वगैरह लादना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, केवल इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स का मामला नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक्साइज़ ड्यूटी की इतने बड़े पैमाने पर आज चोरी हो रही है कि खुद वूलेन इंडस्ट्री के लोगों ने कहा है कि एक्साइज़ ड्यूटी की चोरी हो रही है। उसको रोको हरएक उद्योग में, कपड़े के उद्योग में तथा और उद्योगों में टैक्सटाइल कमिश्नर तथा दूसरे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी मदद से यह होता है। हिन्दुस्तान को सब से बड़े पूंजीपति बिरला साहब और उनके परिवार के बारे में अध्यक्ष महोदय, तरह तरह के केसेज़ चल रहे हैं और मेरे पास 11 कंपनियों की लिस्ट है बिरला वालों की जिनके ऊपर एक्साइज़ ड्यूटी की चोरी को ले कर आरोप है और उसमें मेरी जानकारी के अनुसार कागजों और दस्तावेजों को दबाया जा रहा है। इनमें वल्लभ टैक्सटाइल्स, थाना का, भारत कामर्स ऐंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, इंडियन प्लास्टिक्स, कोर्स लिमिटेड, इंडियन स्मेल्टिंग ऐंड रिफाइनिंग लिमिटेड, ज़ेनाइथ स्टील पाइप्स लिमिटेड, दिग्विजय वूलेन मिल्स, सौराष्ट्र कैमिकल्स, सेनचुरी मिल्स, न्यू स्वदेशी मिल्स अहमदाबाद और मंजूश्री टेक्सटाइल्स अहमदाबाद, इनके केसेज़ को दबाया जा रहा··· (**व्यवधान**) ···

श्री क० ना० तिवारी : आप कह रहे हैं कि केसेज़ हैं तो उसका रेफरेंस यहां कैसे दे रहे हैं?

श्री मधु लिमये : अरे भाई, एन्फोर्समेंट छापा मारता है तो केस बन जाता है। अभी तक क्रिमिनल प्राजीक्यूशन तक बात नहीं आई है।··· (**व्यवधान**) ···अध्यक्ष महोदय, अब यह इस तरह हल्ला करेंगे तो समय ज्यादा जायगा। मेरा क्या जाता है? मैं तो मदद कर रहा हूं मंत्री महोदय की कि किस तरह उनकी आमदनी बढ़े, बार-बार नये टैक्सेज़ के सुझाव प्रोपोज़ल्स ले कर उनको आना न पड़े और जनता के ऊपर बोझ लादना न पड़े। इसलिए मैं यह सुझाव दे रहा हूं।

तो अध्यक्ष महोदय, यह एक्साइज़ ड्यूटी का मामला है। जब बिरला परिवार जैसा बड़ा परिवार और उनकी 11 कम्पनियां पकड़ी गई हैं तो···आज जितने सरकारी कर्मचारी हैं वे अगर अच्छी तरह से काम करें ···(**व्यवधान**)···जो भ्रष्टाचारी कर्मचारी हैं उनको सजा दीजिए, मैं और क्या कह रहा हूं···(**व्यवधान**)···

सभापति महोदय : आपको उठना हो तो प्वाइंट आफ आर्डर पर उठिए। नहीं तो जो मेम्बर बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए।

श्री मधु लिमये : अगर इनके मन में यह बात है कि भ्रष्टाचारी कर्मचारियों को हम बचाना चाहते हैं तो यह बात नहीं है। लेकिन मैं

यह जरूर कहूंगा कि आठ आने की घूंस लेने वाले चपरासी को तो दंड देंगे लेकिन लाखों रुपया दबाने वाले जो बड़े अधिकारी हैं और उनको आशीर्वाद देने वाले जो मंत्री लोग हैं उनकी बात आप नहीं करेंगे । हमेशा छोटे चपरासी या क्लर्क की बात आप करते हैं, यही मतभेद का मुद्दा है ।

अध्यक्ष महोदय, एन्फोर्समेंट के बारे में कल यहां बहस की गई । लेकिन यह ताजा बात है । एन्फोर्समेंट डाइरेक्टोरेट के द्वारा जो रेड्स किए गए हैं कलकत्ता में उनमें अपीजे और सुरेन्द्र ओवरसीज़, जिनका कल जिक्र किया गया, उनके नाम फिर आते हैं । दूसरी एक बात को ले कर मुझे ताज्जुब होता है कि इनकम टैक्स का असेसमेंट किया जाता है । इसके बाद यह लोग अपील में जाते हैं । तो अपील के बारे में यहां जो जानकारी हमको मिली है, मेरा ख्याल है हमारे मित्र पटौदिया साहब का सवाल है इनकम टैक्स अपील के बारे में, उसका जवाब जो मिला है वह शायद आपने देखा न होगा । उसमें इन्होंने पूछा है कि जो असेसीज़ के द्वारा अपील की जाती है उसमें कितने प्रतिशत अपील सफल होती है और कितनी असफल होती है ? इसका उत्तर दिया गया है कि 1962–63 में 65 प्रतिशत और सब सालों के आंकड़े में नहीं पेश करना चाहता, पिछले वर्ष का है 66 प्रतिशत । इतनी अपीलें सफल हुईं । अध्यक्ष महोदय, इसके तीन ही मतलब हो सकते हैं । एक यह कि इनकम टैक्स के अफसर लोगों को ख्वामख्वाह तंग करते हैं या वह अकार्यक्षम हैं या तीसरे भ्रष्टाचार ऊपर इतना ज्यादा है कि अपील में उनका मामला ठीक हो जाता है । अब मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता हूं । तीन के अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता । या तो अफसर लोग बहुत ही लोगों को तंग करते हैं या वह अकार्यक्षम हैं या भ्रष्टाचार का मामला ऊपर इतना ज्यादा है कि वह अपील में जीत जाते हैं । अब मंत्री महोदय इसके बारे में जांच करके सदन के सामने रपट ले आयें, फिर हमारी जानकारी जो है वह हम सदन के सामने रखने के लिए तैयार हैं । लेकिन तीनों बातें इसमें हैं । मैं यह कहने के लिए तैयार नहीं हूं कि एक ही बात इसमें है । भ्रष्टाचार की बात भी है, अकार्यक्षमता की बात भी है और यह कभी-कभी तंग करने की बात भी इसमें आ जाती है । तो अध्यक्ष महोदय, यह सारे मसले हैं । मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि बार-बार नया-नया टैक्स बढ़ाने की बात बजट के समय वे सोचते हैं, बाद में भी आप आर्डिनेंस करते हैं, साल भर यह चक्कर चलता रहता है, तो मैं उनसे कहूंगा कि वे इसको बंद करें । अब आप संकल्प कीजिए, पांच साल के लिए प्लान हालीडे की बात आप कर रहे हैं, जरा पांच साल के लिए ग़रीब जनता पर टैक्स-हालीडे की बात क्यों नहीं करते हैं, कि ग़रीब जनता के लिए पांच साल का टैक्स हालीडे हो ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह गरीबों के लिये नहीं है ।

श्री मधु लिमये : मैं कहां कह रहा हूं कि गरीबों के लिये है, मैंने तो इसका स्वागत किया है । लेकिन मैं बड़े लोगों के बारे में कह रहा हूं । हमारा तो सुझाव है कि 1,500 रु० से ज्यादा किसी को खर्च करने की इजाजत न दी जाय और जो अतिरिक्त आमदनी हो उसका पूंजीकरण किया जाय, उसको कारखानों में लगाया जाय । . . .

श्री एस० एम० जोशी : हमने तो कमेटी बनाने के लिये कहा था । उस वक्त उसको हंसी मज़ाक में टाल दिया ।

श्री मधु लिमये : मैं तो कब से इस बात को लेकर आपके साथ झगड़ा कर रहा हूं—खर्च पर रोक लगाने की बात न निजी क्षेत्र में आप सोच रहे हैं और न सरकारी क्षेत्र में । मैं जब टैक्स हालीडे की बात करता हूं तो मेरा उद्देश्य यह है कि जो ज़रूरियात की चीजें हैं उन पर

[श्री मधु लिमये]

एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की बात सरकार छोड़ दे। अगर पांच साल तक ऐसा करें और अपना बकाया टैक्स वसूल करे, करों की चोरी रोकें तथा जो खर्चा घटाने की बात है उस पर अमल करे, जो बड़े बड़े नौकरशाह हैं, उनके खर्चे सरकारी क्षेत्र के खर्चे घटाये तथा निजी क्षेत्रों के खर्चे को रोकने की बात करे, तो मेरा ख्याल है कि कुछ नये रास्ते हिन्दुस्तान के लिये खुल जायेंगे।

SHRI D. N. PATODIA : Sir, I oppose this Bill because I feel that this Bill is against the very conception of economic growth in our country. This is another opportunity which the Government has conveniently taken to meet additional deficits by imposing additional taxation. It is a very simple arithmetical exercise but also, at the same time, very dangerous when expenses rise without proportions and only to meet those expenses irrespective of whether the impositions are reasonable or not addtional taxations are imposed.

I want to point out that in the course of the last several years, particularly in the course of this year, the rate of taxation on society has become so heavy that the economic growth has been crumbled. The return on economy has gone down as a result of which, in spite of the rate of taxation being so high, we are going to face a serious deficit in the expected realisations of our revenue. It would be a good thing for the Government to realise this truth and to understand that the rate of taxation has always got to be related to the economic growth of a country. When they start getting a diminishing return from the rate of taxation it is high time that they stop imposing fresh taxation and they must find out an equilibrium where economic growth is at maximum and, at the same time, revenue collection is reasonable. The very purpose of revenue collection is defeated if economic growth is curbed. Therefore, any measure which imposes fresh taxation on the society will be a curb on the economic growth, will be anti-national and must be opposed.

With these words, Sir, I oppose the Bill.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : चेयरमैन साहब, मैं यह समझता हूं कि अभी जो बातें मेरे मित्र मधु लिमये ने कही हैं, उनके बारे में कोई उत्तर हमको मिलना चाहिये। कल भी बहस के दौरान हम लोगों ने कहा कि यह सही है जो एन्टरटेनमेन्ट पर रोक लगी है या उसको कम किया गया है, हम इसका स्वागत करते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे प्रगतिशील विधेयक हमारे देश में आयें ताकि यह जो फिजूलखर्ची है, सिर्फ फिजूलखर्ची ही नहीं, बल्कि तमाम राजनीतिक जीवन को, या सामाजिक जीवन को या नौकरशाहों को जो भ्रष्ट करने की कोशिश बड़े बड़े बिजनेसमैनों में है, वह कम हो। यह ठीक है कि इस विधेयक से इसको कम करने की कोशिश की गई है, लेकिन वह फिर भी कम नहीं होगी, क्योंकि अभी दूसरे साधन भी हैं और फिर वे लोग उन दूसरे साधनों का प्रयोग करने लगेंगे।

सभापति महोदय, मुझे याद है, जब श्री टी० टी० कृष्णमाचारी हमारे वित्त मंत्री थे तो अचानक एक दिन एलान हुआ कि 90 दिन की छूट दी जाती है—जो काला रुपया बाहर आ जायगा, उसकी उपेक्षा की जायगी, कन्सेशन दिया जायगा। कितना आया, कितना नहीं आया—मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन उस 90 दिन का फायदा लोगों ने उठाया और जिन लोगों के ऊपर इन्कमटैक्स के मुकदमे चल रहे थे और हो सकता है कि 80 प्रतिशत से लेकर 150 प्रतिशत तक फाइन होने वाला था, उन्होंने अपने काले रुपये को कांग्रेस की लाण्ड्री में भेज कर सफेद कर दिया . . .

SHRI SONAVANE (Pandarpur) : In your laundry also the same thing is done.

श्री स० मो० बनर्जी : सभापति महोदय, मैं भाई सोनवाने से कहना चाहता हूं कि कभी मेरी लाण्ड्री में आये तो न कपड़े बचेंगे और न ये बचेंगे।

तो जहां तक इस बिल का ताल्लुक है—अगर इसमें रुपये के सही वितरण की व्यवस्था होती, गरीब जनता पर टैक्सेशन के कम करने

की बात होती, तो मैं इसका और ज्यादा स्वागत करता, लेकिन आज जो मैं इसका हार्फ़-हार्टेडली स्वागत कर रहा हूं, उसका एक ही कारण है—कभी कभी विधेयक हम लोग ले आते हैं, लेकिन जो चीज़ वाकई लानी चाहिये जनता के सामने, वह नहीं लाते। सभापति महोदय, इन्कम टैक्स की चोरी की बात, इन्कम टैक्स एरियर्स की बात पर कल काफ़ी चर्चा हो चुकी है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे मालूम है कि श्री हरीदास मूंदड़ा की तरफ़ 6 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक इन्कम टैक्स का बकाया था और उसके बाद कहा जाता है—मुझे मालूम नहीं कहां तक सत्य है—जब हमारे वित्त मंत्री सचिन चौधरी आये, भगवान भला करे इस देश की जनता का कि वह मंत्री नहीं रहे, लेकिन जब वह मंत्री बन कर आये, तो फिर मूंदड़ा साहब क्लैरिजिज़ होटल में आकर ठहरने लगे और उन्होंने डंके की चोट कहना शुरू किया—अब तो सैंया भये कोतवाल, अब डर काहे की—सचिन चौधरी साहब आ गये हैं—थ्री मस्केटियर्स बन कर उनका इन्कम टैक्स एव्रेज बैसिज पर तय हो गया। . . . *(Interruptions)*

आप मूंदड़ा के भी वकील बन गये।

श्री दामानी (शोलापर): वह अधिकार मैंने आपको दे रखा है। सभापति महोदय, बहुत से मामले ऐसे हैं जो डिपार्टमेन्ट के विचाराधीन है, जिन पर जांच पड़ताल चल रही है। जो शख्स यहां पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है, यहां पर मौजूद नहीं है, उनका नाम लेकर यहां पर इस तरह से कहा जाय, मैं समझता हूं कि उस पर आप पाबन्दी लगावें।

श्री स० मो० बनर्जी: सभापति महोदय, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप विश्वास करिये, जब भी मैं ऐसी बात करता हूं—दामिनी दमक दमक दमके—दामानी साहब फौरन बोल उठते हैं—इसकी क्या वजह है? मैं कोई बुरी बात नहीं कह रहा हूं। मान लीजिये, मैं कहूं कि बिरला परिवार वैल्थ टैक्स नहीं देता—तो मैं इसमें कोई उनकी निन्दा नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो उनकी चतुराई की तारीफ़ कर रहा हूं। आज इस विभाग में हमारे एक नौजवान मंत्री हैं— ए वर्दी सन आफ़ ए वर्दी फादर इन वर्दी कांग्रेस—क्या करें एक ऐसी संस्था में आ गये हैं—चले आयेंगे कभी इधर। हम लोग तो अब ज्यादा उम्र के हो गये हैं—हम लोगों की उम्र करीब 50 साल की हो चुकी है, मोरारजी साहब भी काफ़ी आगे बढ़ गये हैं, उनकी ज़िन्दगी का तीन-चौथाई गुज़र चुका है, हम लोगों का भी आधा हो गया है, अब ये जो एक-चौथाई वाले लोग हैं, इनको देश को चलाना होगा, इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह हिम्मत कर के यह कहें कि हम इन्कमटैक्स की चोरी करने-वालों, इन्कम टैक्स का एरियर न देनेवालों को सज़ा देंगे। क्योंकि कल भी मैंने कहा था और अब भी कह रहा हूं—कानपुर शहर से एक ही शख्स दिन भर मेरे दिमाग में घूमता रहता है —रामरतन गुप्ता। जब तक वह जेल में नहीं चला जायगा, तब तक मेरा मन शान्त नहीं रहेगा।

श्री बेणीशंकर शर्मा (बांका): सभापति महोदय, मैं इस बिल के विरोध में अपनी आवाज़ उठाते हुए केवल दो शब्द कहना चाहूंगा। मेरे मित्र माननीय मधु लिमये ने कुछ व्यक्तिगत लोगों के इनकम टैक्स के बक़ाये की बात की है। मैं उनके साथ सहमत हूं। यह मेरी समझ में नहीं आता कि किसी अमी चंद प्यारेलाल, बिड़ला ब्रदर्स या रुइया जैसे लोगों के रुपये बाकी क्यों रहें। इनमें कुछ को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मैं कह सकता हूं कि अगर इन लोगों पर रुपया बकाया है तो वह वसूल हो सकता है और वह वसूल होना भी चाहिए।

किन्तु मैं देखता हूं कि जहां तक इनकम टैक्स की बक़ाया रक़म का सवाल है कुछ गलत-

[श्री वेणीशंकर शर्मा

फहमियां हो रही हैं। मुझे आश्चर्य तो तब होता है जब मैं पाता हूं कि हमारे मंत्री भी इस मामले में चुप हैं। आज हमारे सामने कहा गया है कि जो 529 करोड़, 540 करोड़ या 542 करोड़ रुपया इनकम टैक्स का बकाया है वह रुपया कैसा है किस तरीक़े का है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इसका वह निराकरण करें। मैं अपनी ओर से यह कहना चाहूंगा कि जहां तक इनकम टैक्स या रियल इनकम टैक्स का सवाल है आपका क़ानून इतना कड़ा है कि वह सारा पूरे साल का पहले से रुपया आ जाता है। ऐडवांस टैक्स में रुपया देना पड़ता है फिर एसैसमेंट है, प्राविज़नल एसैसमेंट है। उसके बाद जो रियल इनकम होती है उस पर सब टैक्स आ ही जाता है। उसके बाद हमारे आफिसर्स जिनको कि यह बजट पूरा करना पड़ता है वह इसके लिए लम्बा, लम्बा एसैसमेंट कर लेते हैं और एक, एक रक़म को तीन, तीन जगह एसैस कर लेते हैं। मैं यहां पर उन इनकम टैक्स कमिश्नर का नाम नहीं लूंगा लेकिन यह बात सही है और यह उनके जुरिस्डिक्शन में एक असिस्टेंट कमिश्नर की बात है। उनके जुरिस्डिक्शन में 30 लाख रुपया बाक़ी था तो 25 लाख रुपया एडजस्ट करने पर प्रोडक्टिव एसैसमेंट से आ जाता है। मालूम यह पड़ता है कि आज आप के अफसरान में हिम्मत नहीं है उनमें यह माद्दा नहीं है कि वह सही सही इनकम टैक्स एसैस कर सकें। इनकम टैक्स आफिसर्स पर ऊपर का दबाव इतना बढ़ गया है कि एक ही रक़म को एक मंथ में टैक्स करते हैं ए० के हाथ में, बी० के हाथ में टैक्स करते हैं और फिर सी० के हाथ में टैक्स करते हैं। 5 लाख भी टैक्स है तो वह 20 लाख का टैक्स हो जाता है। इस तरीक़े से आप अगर वित्त मंत्रालय के आंकड़ों को ऐनालाइज़ करेंगे तो उनको मालूम होगा कि असल टैक्स जो है वह कहीं कम है जो आपका 540 करोड़ या 529 करोड़ का कहा जाता है। इसके लिए हमारे अफसरों पर जोर दिया जाता है। मैं यहां उनकी वकालत करने के लिए नहीं आया हूं लेकिन मैं जानता हूं कि उनके अफसरों को दोष देने से हमारे जो एसैसीज़ हैं उन पर कितनी कड़ाई होती है यह किसी से छिपा नहीं है। जितना उनका असल रुपया बकाया था वह तो उन्होंने ले लिया है और मैं आप के सामने एक, दो नहीं सैकड़ों ऐसे केसेज़, ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिसमें सारी पूंजी जो करीब उनकी एक लाख की है लेकिन उन पर टैक्स लगा है 5 लाख पर या 7 लाख पर। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वह अपील में जाकर ठीक हो जाता है। अभी श्री मधु लिमये ने आपके सामने जो अपीलों के आंकड़े रक्खे वह आंकड़े इस बात को बतलाते हैं कि अपीलों में जाकर कितने केस सफल होते हैं। इसलिए यह बक़ाया की रक़म की जो बात चलती है वह कुछ ऐसी ग़लत रीति से चलती है और मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बारे में देखें कि इनका जो प्रोडक्टिव एसैसमेंट है वह ठीक हो। मैं नहीं चाहता कि हमारे डिपार्टमेंट के अफसर बराबर इनकम टैक्स आफिसर्स को ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स एसैसीज़ पर लगाने के लिए जोर दें। आखिर जब हमने अफसरों को नियुक्त किया है तो उन पर पूरा भरोसा करना चाहिए और उनको अगर वह ठीक काम करते हैं तो उनकी हमें तारीफ़ करनी चाहिए। उनकी वाहवाही करनी चाहिए अगर हम ऐडमिनिस्ट्रेशन को ठीक तरीक़े से चलाना चाहते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है? हम उन अफसरों को दोष देते हैं उनको गालियां देते हैं और उसका कुप्रभाव जाकर पड़ता है बेचारे व्यापारियों के ऊपर, आम ऐसेसीज़ के ऊपर। वह उनके ऊपर लम्बे से लम्बे टैक्स लगा देते हैं। होता यह है कि जिस मनुष्य की ताक़त जिस व्यक्ति की क्षमता लाख रुपये देने की नहीं है उस पर 10 लाख रुपये का टैक्स लग जाता है। मैं बड़े आदमियों की बात नहीं करता, बड़े आदमी तो बच जाते हैं लेकिन छोटे छोटे व्यापारियों को मारा जाता है इसलिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बारे में विचार करें।

SHRI D. C. SHARMA : Mr. Chairman, the fact of the matter is that everybody is opposing this Bill which is a very harmless and non-controversial Bill. I think, the Finance Ministry has not done anything extraordinary or anything which is uncalled for in bringing forward this Ordinance and in converting that Ordinance into an Act. What have they done ? I think, they have dome something which is entirely in accordance with the economic situation in this country. After all, the Finance Ministry has to be the custodian of the economic health of the country and that is what they have done. For instance, so far as the Annuity deposits go, they have increased them and, I think, they have done nothing wrong in that. It is because in our country all kinds of savings should be brought into play. Unfortunately, this country is a tradition-ridden country and we think of savings which we make in terms of gold only. But here we have got a new type of saving which will help those persons who are in the upper income bracket and I do not think the Government of India has done anything wrong in that.

Then, there is the provision of restriction on entertainment expenditure in business. I think, this is the most important thing in this country. When the Wilson Government came into power in U.K.—unfortunately, there has been devaluation of the pound to the extent of 14·3 per cent; I am not discussing that—the first thing he did was to curtail expenditure on entertainment because he thought entertainment meant all kinds of things. I do not want to go into those things. By reducing the entertainment expenditure, the Government of India has done the wisest possible thing.

Then, they have given us increased rate of interest chargeable from tax-payers under the Income-Tax Act. What is the harm in that ? They have increased the rate of interest. I think that is going to help those persons who pay all these kinds of taxes. This is a very non-controversial Bill which is going to help those persons who are tax-payers. Nobody should feel sorry for it.

One thing is true that, if our Income-Tax Department were very vigilant, if our Income-Tax Officers were very careful about the duty which they are performing and if the income tax payers were also very careful about the national duty they have to perform by giving a part of their income to the national exchequer, if all these things were done, there would be no need to bring forward such a piece of legislation. The fact of the matter is that so much of money goes underground, so much of money is hidden and so much of money is not found out. Sometime back, the then Finance Minister T. T. Krishnamachari, searched the houses of some of the film stars. These film stars are very good people; you like them and I also like them. But they have all kinds of transactions. So, he searched the houses of film stars and some of the Opposition Members and some of the Congress Members became very indignant and asked, "Why have you done that ?" as if the film stars were the saints of Pandharpur, as if the film stars were the saints from Maharashtra or Punjab. But Shri T. T. Krishnamachari did the right thing in getting the black money by searching the houses of the film stars. I think, Shri Pant also, who looks like a film star, will not be found wanting when it comes to unearthing the black money, whether it is the house of a film star or it is the house of Birla, or it is the house of Mundhra or it is the house of Aminchand Pyarelal or it is the house of Kulwantrai or it is the house of somebody else. I think, we must unearth the black money. At the same time we must give these income-tax officers the right kind of protection when they perform their onerous duties. How can they perform their duties ? When they go to the houses of film stars, the whole country begins to tremble as to what is going to happen to the film industry. We must bring the wrong-doer, in the matter of income-tax, to books, to whatever category he may belong, and I think that Mr. K C. Pant, who looks soft but who is made of steel, will see to it that all the wrong-doers like all of us who are brought under the hands of income-tax investigation, so that there is no need to bring forward such Bills. Income-tax is income-tax and every Indian should pay his due share of income-tax, and if that is done, then all these Bills will be redundant, but as long as we do not do so, these Bills will have to be brought forward.

16 hrs.

SHRI GEORGE FERNANDES *rose*—

SHRI D. N. PATODIA : We have already had enough discussions. We should now finish it.

MR. CHAIRMAN : What does the hon. Minister say ?

SHRI K. C. PANT : I am entirely in your hands.

MR. CHAIRMAN : Mr. George Fernandes. So many points have already been made by him. If there are any new points, he may make. The same points need not be repeated.

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : सभापति महोदय, जब अर्थ-संकल्प पर बहस हो रही थी उस वक्त पावर लूम्स के ऊपर लेवी लगाने का जो मामला था उसको लेकर स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया की ओर से कई प्रश्न उठाये गये थे। उस बात पर वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने कुछ खुलासा करने की कोशिश की थी। मगर वह अधूरा खुलासा ही रहा। आज जब यह नया विधेयक ला कर सरकार चलाने के लिये कुछ और पैसा लोगों से लेने के मामले पर यहां बहस चल रही है, तब हम मंत्री महोदय से जरूर इसका खुलासा चाहेंगे कि क्या उस वक्त से, यानी आज से करीब चार महीने पहले उठाये गये इस प्रश्न पर, कोई जानकारी सरकार प्राप्त कर पाई है?

आपको याद होगा अर्थ-संकल्प सदन में रखते हुए और पावर लूम्स पर नई ड्यूटी लगाने की बात कहते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि हमें इससे 8 या 10 करोड़ रु० ज्यादा मिलने वाले हैं। हममें से कुछ लोगों का, खास कर डा० लोहिया का, यह आरोप था कि मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। यह 8 या 10 करोड़ रु० का ही मामला नहीं है, असल में इसमें 60 या 70 करोड़ रु० जमा करने की बात है। आगे जाकर हमने इस बात को आंकड़े दे कर इस सदन में साबित किया। मगर सिवा इस बात के खंडन करने के मंत्री महोदय किसी सबूत के साथ सदन के सामने नहीं आये हैं। आप देखिए कि आज सवेरे जब इस नये विधेयक पर बहस चल रही थी तब श्री मधु लिमये ने प्रश्न पूछा कि इस विधेयक के द्वारा कितना पैसा इकट्ठा करने की बात सरकार कह रही है, उस समय मंत्री महोदय की ओर से इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया, क्योंकि उनके पास इस नये विधेयक से कितने पैसे मिलने वाले हैं इसकी कोई मालूमात नहीं हैं। उन्होंने आधा खुलासा दिया था, लेकिन पूरा खुलासा नहीं कर पाये।

एक तरफ तो आप पैसे को अलग-अलग ढंग से वसूल करने का काम करते हैं, और दूसरी ओर से सरकार की ओर से तरह-तरह की फुजूलखर्चियां चलती रहती हैं। आज सुबह जब शिक्षकों का मामला यहां पर उठाया गया तब यहां कोई 85 या 95 लाख रु० का मामला पेश किया गया। शिक्षा मंत्री बोले कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब इस बारे में मैं क्या बतलाऊं ? अगली फरवरी के महीने में यहां कोई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है जिसके लिये कई विदेशी लोग दिल्ली शहर में आने वाले हैं। उनके मौज मस्ती के लिये अशोक होटल में एक या डेढ़ करोड़ रुपया खर्च कर के एक रिवाल्विंग टावर बनाया जा रहा है विदेशियों के ऊपर उठकर दिल्ली की शान देखने के लिये, या फिर जो पैसे वाले लोग हैं जो कि अशोक होटल में जा कर रहते हैं उनके ऐशो आराम के लिए यह पैसा खर्च होता है। यह केवल दिल्ली शहर का ही मामला नहीं है। हमारा आरोप है कि पिछले चार महीनों में मिनिस्टर लोग बाहर गये हैं। 13 तारीख को हम लोग चले गये, और जैसे ही सदन की बैठक स्थगित हुई, तब से लेकर यह सत्र शुरू होने तक; मैं समझता हूं कि कोई भी मंत्री आपको नहीं मिलेगा जिसने कम से कम एक विदेश यात्रा न की हो। प्रधान मंत्री तो दो बार विदेश भ्रमण को गई। हर एक मंत्री कोई न कोई बहाना ले कर, कोई न कोई वजह बतला कर दुनिया का भ्रमण करने के लिये गया। पता नहीं कितने लाख रुपये इस तरह पर खर्च किये

गये। एक तरफ प्रधान मंत्री और दूसरे मंत्री इस तरह से पैसा खराब करते हैं दो सत्रों के बीच में, और दूसरी तरफ नये टैक्स लगा कर, कोर्ट फीस के द्वारा या इनकम टैक्स के द्वारा ज्यादा पैसा वसूल करने का काम होता है।

इस लिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और श्री जोशी की ओर से एक बात कहना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय उसका खुलासा करें। जब हमारे यहां के लोग विदेश जाते हैं मंत्री की हैसियत से तब तो वह सरकारी पैसे से दोस्तों के लिये भेंट करने के लिये चीजें ले जाते हैं और जब विदेशों से चीजें मिलती हैं तो मैं ने सुना है कि उनको वह अपने घरों में ही रखने का काम करते हैं, और इस ढंग से काफी पैसा सरकार का बरबाद करने का काम किया जाता है। मैं जानना चाहूंगा कि इसमें कहां तक सच्चाई है कि जब यहां से लोग जाते हैं तब सरकारी पैसे से जाते हैं और वहां पर जो सामान मिलता है उसको वह अपने घर में रखने की कोशिश करते हैं। इसका पूरा खुलासा होना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को वापस लिया जाये और जो भी फुजूलखर्ची सरकार में होती है उसको तत्काल बन्द किया जाये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री मधु लिमये ने तो इस विधेयक का समर्थन किया है।

श्री मधु लिमये : समर्थन बिल का नहीं किया है, फुजूलखर्ची पर रोक लगाने के सिद्धान्त का समर्थन किया है।

श्री ओंकारलाल बोहरा (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, इनकम टैक्स पर जब चर्चा होती है तब उस पर चर्चा करते हुए बड़े-बड़े उद्योगपतियों और इंडस्ट्री के व्यक्ति विशेष के नामों की चर्चा की जाती है। इस विधेयक पर भी इसी प्रकार चर्चा की गई है। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं, और खास तौर से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि हिन्दुस्तान में केवल बड़े-बड़े उद्योगपति या बड़ी बड़ी कम्पनियां ही नहीं हैं, यहां हजारों, लाखों छोटे तथा मझौले व्यापारी भी हैं जो कि इनकम टैक्स की समस्या से बड़े परेशान रहते हैं। भारत सरकार की नीति या हमारे वित्त मंत्रालय की नीति या जो भी नीति सरकार अपनाती है उससे हमारे देश में आर्थिक कठिनाइयां पैदा हो रही हैं और व्यापारियों की आस्था सरकारी नीतियों के प्रति या इस तरह के कानूनों के प्रति मिटती जाती है।

जब कभी इनकम टैक्स को ले कर चर्चा होती है तो कई बार ऐसा लगता है कि हजारों लाखों व्यापारी जो छोटे स्थानों में, गांवों में और कस्बों में काम करते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। आज छोटे-छोटे व्यापारी जो आप के ऊपर बेरोजगारी का भार नहीं लादते, जो स्वयम् छोटी-छोटी पूंजी से काम करते हैं और अपना व्यापार करते हैं, आपके दरवाजे पर नहीं आते हैं कि उनको काम दिया जाये, अपने पैरों पर खड़े हो कर काम करते हैं, उन पर जब इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और जो दूसरे टैक्सों की भरमार होती है उससे देहातों और कस्बों में अपनी आजीविका प्राप्त करने में असुविधा महसूस कर रहे हैं। मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो इनकम टैक्स का कानून है और जो सारी प्रणाली है वह इतनी काम्प्लीकेटेड हो गई है, इतनी अजीब हो गई है कि छोटे से छोटा व्यापारी हो या बड़े से बड़ा व्यापारी हो, चाहे कितनी ही ईमानदारी से काम करता हो लेकिन उसको परेशान होना पड़ता है। तो बिल का समर्थन करते हुए भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो मशीनरी है वह मझले और छोटे व्यापारियों के साथ कुछ सहानुभूतिपूर्ण ढंग से बर्त्ताव करे, इसकी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे आफिसर्स ऐसे होने चाहिए कि जिनके मन में यह भावना हो कि यह मझले और छोटे व्यापारी जो थोड़ा कमाते हैं उनको थोड़ी रिलीफ मिले, असेसमेंट के लिए उनको ज्यादा भटकना न पड़े और छोटी-छोटी बातों में परेशान न होना पड़े, वकीलों के चक्कर में न पड़ना पड़े।

[ओंकारलाल बोहरा]

आज देश के अन्दर छोटे-छोटे कस्बों और शहरों में मझले और छोटे व्यापारी बड़े परेशान हैं। हम इस बड़े हाल के अन्दर बैठ कर बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन सचमुच देश की जो आर्थिक स्थिति है वह छोट और मझले व्यापारियों के साथ जुड़ी हुई है और उनके लिए हम कुछ सोचते नहीं हैं। बड़ी-बड़ी बातें कर के अपने कानूनों के द्वारा जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन है देश को, जो थोड़ी बहुत आर्थिक व्यवस्था जमी हुई आ रही है उसको भी उलझन में डालना चाहते हैं। मैं वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि द्राविड़ियन प्राणायाम के द्वारा करों का असेसमेंट न करते समय कम से कम छोटे व्यापारी और मध्यम व्यापारियों को सुविधा देने के जो आश्वासन उन्होंने दिए हैं वह कृपा करके आप कानून के द्वारा करें या अपने अमल के द्वारा करें, चाहे जैसे करें और उनके लिए थोड़ी सी उदार नीति जरूर अपनायें। थोड़ी सी सुविधा देकर उनको अपनी आजीविका कमाने, जिन्दा रहने, काम करने और शांति से अपने व्यापार की नीति को चलाने का अवसर आप दें तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी बात होगी। हम बड़ी-बड़ी बातें कर के आज इस तथ्य को भुला नहीं सकते कि अल्टीमेटली हमारे गांवों की और देश की जो आर्थिक नीति है वह छोटे और मझले व्यापारियों के द्वारा संचालित होती है और देश के करोड़ों और लाखों लोगों से उनका बड़ा निकट का संबंध रहता है। उनकी स्थिति आज दिन पर दिन बदतर होती जा रही है।

मैं संक्षेप में इस बिल का समर्थन करते हुए वित्त मंत्रालय का ध्यान और खास तौर से पंत जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह अपने छोटे आफ़िसर्स को चाहे वह इनकम टैक्स के हों चाहे सेल्स टैक्स के हों, सेल्स टैक्स तो खैर राज्यों का विषय है, इनकम टैक्स के बारे में खास तौर से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे और मझले व्यापारियों के लिए आप थोड़ा सा कंसेशन या थोड़ी सी नीति में उदारता बरतने के लिए कोई ठोस कदम अपने आफिसर्स के सामने रखें।

SHRI K. C. PANT : The purpose of this Bill is a limited one, and it is limited to the provisions of the Ordinance which was issued earlier. These provisions relate to the annuity deposit scheme and especially to certain aspects of it, firstly increasing the rates on the one hand and secondly making it compulsory for levels beyond Rs. 15,000 on the other; they also relate to increasing the interest rates from 6 to 9 per cent on refunds due and tax due. Besides, the provisions also relate to a limitation on the entertainment allowance. This was the limited purpose of the Bill.

But in the third reading now I find that the debate has been a very wide-ranging one, and all kinds of subjects have been covered. I hope you will permit me, therefore, to confine myself largely to the questions to which this Bill relates.

By and large, I am very happy that all sections of the House have welcomed this Bill. They have welcomed the fact that entertainment allowance has been limited. Of course, not each and every Member had welcomed it; for instance, Shri D. N. Patodia did not welcome it, and earlier the other speakers belonging to his party also did not welcome it. But I think that by and large, the other speakers who had participated in the debate whether in the first reading or the third reading stage have expressed some satisfaction at the fact that we were asking the higher income groups and the middle income groups to shoulder the burden which the lower income groups have per force to take upon themselves on account of the difficult economic situation. So to that extent, I am grateful for the support of all sections of the House. But while giving their support, various suggestions have been made.

The ideal suggestion is Shri Limaye's. He says we should raise resources without levying taxes. That was how he began his speech. If only he could let us have the know-how for that, I would be very grateful to him.

श्री मधु लिमये : आप की जगह लेनी पड़ेगी मुझ को, यह दिक्कत है ।

SHRI K. C. PANT : His friends have been in power in various States and we have seen that they know how to give up taxes but we have not seen that they have increased revenue.

Regarding the question of tax arrears which was raised again, yesterday I had replied to it. Today Shri Sharma raised it and Shri Limaye also referred to it. I would repeat what I said yesterday that the amount of Rs. 500 crores has to be viewed against the total collections of about Rs. 650 crores in the year. The figure is not to be viewed in the abstract. If in one year, Rs. 650 crores are collected, a certain amount does overlap into the next year. At the most, you can say that those cases where the arrears are longer than such and such period have got to be cleared quickly. But a certain amount of arrears will be there because there will be a certain amount of overlapping taking place. But this does not mean that I do not accept the need to liquidate arrears. But I would request them to put the matter in its proper perspective. So far as the need for liquidation of arrears is concerned, I can assure you we are taking very vigorous steps in that direction.

Shri Limaye and Shri Fernandes also referred to some specific cases. These have suddenly been sprung on me. All I can say is that if they are interested in getting information on specific cases, they should give advance notice so that we can come prepared with all the facts and figures. If I make any statement about any specific cases which is not correct, tomorrow my hon. friend will haul me for misleading the House.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल स्पष्टीकरण इतना ही करना चाहता हूं कि मैंने अपनी दलीलों को प्रश्नों के जवाब में इन्होंने जो कहा है इस सदन में और मैंने पत्रों के द्वारा जो मन्त्रियों को पहले ही कहा था, उसी के अंदर रखा है । उसके बाहर में नहीं गया हूं । उसी चौखटे में मैंने अपनी बातों को रखा है ।

SHRI K. C. PANT : All I am saying is that I have too much respect for him to come unprepared to answer about specific cases. I think he will appreciate the point. I can assure him that in all these cases there will be no hankey pankey and the interests of the exchequer will be properly safeguarded.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : देश का हित सेफगार्ड होना चाहिए ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : देश का हित इसी में है ।

श्री जार्ज फरनन्डीज : एक्सचैकर का हित है यह ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : एक्सचेकर का हित देश का हित है ।

श्री मधु लिमये : ठीक है, टैक्स न बढ़ाते हुए एक्सचेकर को बढ़ाएंगे तो उसी में देश का हित है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उनको समझा लीजिए ।

श्री मधु लिमये : वह यही कह रहे हैं कि टैक्स मत लगाइए ।

SHRI K. C. PANT : So far as appeals go, I would again like the house to view the matter in proper perspective. What is the percentage ? After all, there are 26 lakh cases of assessees dealt with in the year. A very small percentage, I think subject to correction, 5 per cent, go in appeal. A percentage of that are allowed. It is not as though there is a large percentage of appeals.

I can give another interpretation as against the one given by Shri Limaye. The ITOs are strict and vigilant and therefore they may be overcharging at their stage the judicial system is functioning well and therefore, those mistakes are corrected at that stage. That is a perfectly logical interpretation of these figures. If he likes to look at it like that, if he thinks about it in an objective manner, I think this is the interpretation, unless he can give specific instances to disprove it, because, if the system is functioning properly, then the ITO

[Shri K. C. Pant]

should be strict. In fact, Mr. Sharma made the point that the ITOs are very strict, and he said they rub the people the wrong way, they harass them, and so on and so forth. The same point was made by the last speaker also. I am not for the harassment of the assessee. I can say quite plainly that income-tax officers need to be protected and need to be told that they should be fair and they should see that the law is implemented, and they should not allow anybody to get away with evasion of taxes or non-payment of taxes. That is quite clear and we expect this House will give that backing.

SHRI MADHU LIMAYE : Fair and efficient.

SHRI K. C. PANT : Fair and efficient, and the guilty should be punished even amongst them, but the good officers deserve some praise and some appreciation.

Therefore, I would only request the hon. members not to make sweeping remarks, and not to call the whole tribe black, but to take into account the factual and practical difficulties of the situation in which they have to function.

Shri Patodia who rejected this Bill said that we are meeting additional deficits with additional taxation, and that this was against economic growth. I would request him to ponder over this and to consider if at this stage of our economy an increasing deficit would be in the interests of economic growth. This is a subject which is being debated day in and day out; but I would request him to ponder whether in the inflationary situaton in which we have found ourselves in the last three years, the need to curtail deficit is not almost as important as the need to maintain economic growth, and where there is any clash between the two, temporarily at least we have to give preference to the need to curtail inflation.

Having said that I recognise and I fully agree with him that economic growth must not be allowed to suffer, but the present situation must not be lost sight of.

The other points that have been made have more or less been covered in the earlier speeches. Shri D. C. Sharma has gone, so need not say anything about the film star complex which he betrayed here, but I would like to say a word about the presents received by Ministers and given by Ministers abroad.

As far as the presents given by Ministers go, Ministers do not give the presents to their friends as was made out by Shri Fernandes, but it is possible that some of our Ministers have friends amongst important people abroad. That cannot be helped and I think he would also not mind that. If the Prime Minister is friendly with the leaders of other countries, that is perhaps a good thing for this country if some of the other Ministers also are friendly with some of the leaders of other countries, perhaps this is also not a bad thing, and is common in international usage. I do not think that was his meaning. I can assure him that no personal or private friends outside the people in authority are made presents at Government cost.

As far as the presents received are concerned, it is not a fact that Ministers just keep the presents in their homes. There are certain rules which govern those presents, and they are required to be valued by independent valuation, and then if anybody wants to retain a present above a certain value, Rs. 450 or so, he has got to pay a certain amount of money. He cannot just keep it. There are these rules, and I can assure him that these rules have been framed with the intention that a visit by a Minister at Government cost should not lead to an individual or personal benefit.

Lastly, Shri Onkar Lal Bohra raised a point about the small and medium traders and businessmen, and the need to protect them from harassment. As I told you, I am against harassment. I hope he was here yesterday when I mentioned that we are taking certain measures to see that the lower income assessees, below Rs. 7,500 income, are given a certain lenient treatment, are saved from harassment, and that their returns are treated with much greater leniency than the returns of those who are in the higher income brackets. I hope that this step that we have taken, which in its own way is a very big step, will not only lead to a reduction of harassment to this class of assessees, but will prevent the entire

system of tax collection in our country from being clogged up. It is in danger of getting clogged up today. Having said this, I once again thank the hon. Members who have taken so much pains to study the provisions of this technical Bill and I thank the large number of them who have lent either fully or partially their support to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16·26 hrs.

ESSENTIAL COMMODITIES (SECOND AMENDMENT) BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : Sir, on behalf of Shri Dinesh Singh, I beg to move :

"That the Bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955, and to continue the Essential Commodities (Amendment) Act, 1964, for a further period, be referred to a Select Committee consisting of 21 Members, namely :—

Shri S. M. Banerjee, Shri Bibhuti Mishra, Shri Rup Nath Brahma, Shri C. K. Chakrapani, Shri J. K. Choudhury, Shri V. N. Jadhav, Shri Mushir Ahamad Khan, Shri D. K. Kunte, Shri Mohan Swarup, Shri Jugal Mondal, Shri A. Nesamony, Shri Nihal Singh, Shri Kashi Nath Pandey, Shri D. N. Patodia, Shri Bhola Raut, Shri N. K. Sanghi, Shri Sharda Nand, Shri Shashi Bhushan, Shri S. Supakar, Shri G. Viswanathan; and Shri Mohd. Shafi Qureshi."

MR. CHAIRMAN : In the list of business, no mention of the fact that you had a mind to refer it to a Select Committee is made. Only, consideration of the Bill is mentioned in the list of business. It would have been much better if the Chair and others had been informed earlier so that the Members would have had full knowledge of it.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : एक रास्ता यह था, यह अमेंडमेंट की शकल में दे सकते थे। आप इस प्रस्ताव का तरमीम की शकल में दे दीजिये।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह भी हो सकता था कि मैं कंसिडरेशन के लिए मूव करता और वहां से कोई अमेंडमेंट आ जाता।

I think this information, was also conveyed by the Minister of Parliamentary Affairs.

MR. CHAIRMAN : This should have been circulated. Now, he has mentioned the names. Will the hon. Minister please let us know the time-limit ? He has just now mentioned the fact that this may be referred to the Select Committee, and then he has given some names. No time-limit is mentioned. What time-limit would you like to fix for the submission of the report ?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : One week's time.

MR. CHAIRMAN : I wish that you could give this motion on a separate paper.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : I will give.

MR. CHAIRMAN : So, it is one week: that is, by next Wednesday.

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955, and to continue the Essential Commodities (Amendment) Act, 1964, for a further period, be referred to a Select Committee consisting of 21 Members, namely :—

Shri S. M. Banerjee, Shri Bibhuti Mishra, Shri Rup Nath Brahma, Shri C. K. Chakrapani, Shri J. K. Choudhury, Shri V. N. Jadhav, Shri Mushir Ahamad Khan, Shri D. K. Kunte, Shri Mohan Swarup, Shri Jugal Mondal, Shri A. Nesamony, Shri Nihal Singh, Shri Kashi Nath Pandey, Shri D. N. Patodia, Shri Bhola Raut, Shri N. K. Sanghi, Shri Sharda Nand, Shri Shashi Bhushan, Shri S. Supakar, Shri G. Viswanathan; and Shri Mohd. Shafi Qureshi, with instructions to report within a week."

श्रीमती जयाबेन शाह (अमरेली) : हमारा यह एक कनवेंशन बना हुआ है कि जब भी कोई